HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 6885/2024

Jahid Qureshi Alias Kayya S/o Nasruddin, Aged About 29 Years, R/o House Number B-86, Madina Nagar, Police Station Khohnagoriyan, District Jaipur At Present Tenant At Rahim Nagar, Police Station Khohnagoriyan, District Jaipur

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Akshat Saxena
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

19/03/2026

याची की ओर से यह याचिका प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 371/2024 पुलिस थाना खोनागोरियान–जयपुर अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस के प्रकरण में जब्तशुदा मोटरसाईकिल संख्या आरजे60–एस.एफ.–3677 को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची–अभियुक्त के विरूद्ध एक प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 371/2024 पुलिस थाना खोनागोरियान पर दर्ज हुआ था, जिसमें धारा 8/21 एनडीपीएस के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। उनका कहना है कि एनडीपीएस के प्रावधानों के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण में यदि कोई वाहन जब्त किया जाता है, तो ऐसे वाहन को भी सुपुर्दगी पर छोड़ा जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किये गये–

1. Sainaba vs. The State of Kerala & Anr.
   2022 0 Supreme (SC) 1181
2. Babulal Yogi vs. NCB

2024:RJ-JP:34359

3. Bhikaram vs. State of Rajasthan

2025:RJ-JP:3041

4. Hariom Prajapati vs. State of Rajasthan

S.B. Criminal Misc. Petition No. 7836/2024 Raj. High Court

विद्वान लोक अभियोजक ने याचिका का विरोध किया। उनका तर्क है कि याची स्वयं अभियुक्त है और वाहन को एनडीपीएस से संबंधित मामले में जब्त किया गया है, जिसके संबंध में अभिग्रहण का प्रावधान भी है। ऐसी स्थिति में वाहन को सुपुर्दगी पर नहीं दिया जावे।

उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 371/2024 पुलिस थाना खोनागोरियान–जयपुर अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस में वाहन मोटरसाईकिल संख्या–आरजे–60 एसएफ 3677 जब्त किया गया है, जिसकी फर्द जब्ती पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। उक्त वाहन जाहिद कुरैशी के नाम पंजीकृत होना पाया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णय Sunderbhai Ambalal Desai vs. State of Gujarat (2002) 10 SCC 283 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"..... has held that the vehicle should not be permitted to remain parked in the police station as same shall gather rust and shall not remain useful."

उपर्युक्त न्यायिक निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर ही न्यायिक विनिश्चय 1. Sainaba vs. The State of Kerala & Anr. 2022 0 Supreme (SC) 1181, 2. Babulal Yogi vs. NCB 2024:RJ-JP:34359, 3. Bhikaram vs. State of Rajasthan 2025:RJ-JP:3041, 4. Hariom Prajapati vs. State of Rajasthan S.B. Criminal Misc. Petition No. 7836/2024 Raj. High Court में वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

वाहन लगभग 2 वर्ष से जब्त है, जिसके खुले में पड़े रहने से खराब होने की आशंका है। अन्य किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रश्नगत वाहन सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु अब तक कोई क्लेम नहीं किया गया है एवं न ही अन्य कोई प्रतिकूल परिस्थितियॉ न्यायालय के समक्ष उजागर हुई हैं। अनिश्चित समय तक वाहन के खड़ा रहने से उसके क्षतिग्रस्त एवं अनुपयोगी होने की सम्भावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, याची की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त न्यायिक विनिश्चय में प्रतिपादित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए याची को प्रश्नगत वाहन सुपुर्दगी पर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः याची की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांकित 3.7.2024 अपास्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि याची की ओर से 1,00,000/–रूपये अक्षरे एक लाख रूपये का सुपुदर्गीनामा व इसी राशि का एक जमानतनामा विद्वान विचारण न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक कराये जाने एवं यह अण्डरटेकिंग दिए जाने पर, कि वह वाहन को दीगर जगह रहन, वय, अंतरित नहीं करेगा, न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर स्वयं के व्यय पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, उसके रंग–रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, प्रकरण में जब्तशुदा मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 60 एस एफ 3677 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय AIR 2003 SCC 638 Sunder Bai Amba Lal Desai Vs. State of Gujarat में प्रतिपादित दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए याची को सुपुर्दगी पर प्रदान कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /8